न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलाईगढ(छ.ग.) **पीठासीन अधिकारी – कु. प्रेरणा वर्मा**	
निर्णय दिनांकः–10–12–2025 प्रकरण क्रमांक–cri/579/2025 अपराध क्रमांक– 139/2025 आरक्षी केन्द्र –बिलाईगढ धारा – 34(2) आबकारी अधिनियम संस्थित दिनांक–06–06–2025	
शिकायतकर्ता	छ.ग. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र– बिलाईगढ जिला–सारंगढ– बिलाईगढ (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	------------
	विरूद्ध
आरोपी	शिवकुमार साहू पिता कोंदाराम साहू, उम्र–45 वर्ष साकिन–बनाहिल, थाना–बिलाईगढ, जिला–सारंगढ–बिलाईगढ(छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	श्री एम एल जाटवर अधिवक्ता

दा.प्र.क्र.–579/2025
निर्णय लगातार ....

घटना दिनांक	18–05–2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	18–05–2025
अभियोग–पत्र प्रस्तुति दिनांक	06–06–2025
आरोप पत्र विरचित करने की तिथि	20–06–2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	03–07–2025
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की तिथि	10–12–2025
निर्णय दिनांक	10–12–2025
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो,	निरंक

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तिथि	अपराध का आरोप	दोषमुक्त/ दोषसिद्धि	दी गई सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण के लंबनकाल के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1	शिवकुमार साहू	18–05–2025	20–06–2025	धारा 34(2) आबकारी अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	01 माह 02 दिवस

दा.प्र.क्र.–579/2025
निर्णय लगातार ....

–: अनुक्रमणिका:–

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	4
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
03	आरोप	1
04	स्वीकृत तथ्य	4
05	अभियोजन की कहानी	5-6
06	साक्षियों का विवरण	6-7
07	अवधारणीय प्रश्न	7
08	कारण और निष्कर्ष	8-17
09	दण्डादेश	17
10	अभिरक्षा में बिताई गई अवधि एवं मुजरा	18-19
11	जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण	18
12	प्रतिकर का आदेश	निरंक
13	प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 428 सी.आर.पी.सी.	19
14	दण्डादेश सुपुर्दगी का वारंट (कारावास या जुर्माना)	निरंक
15	निर्णय की प्रति	18

// नि र्ण य //
(आज दिनांक–10–12–2025 को घोषित)

---

01. अभियुक्त **शिवकुमार साहू** के विरूद्ध दिनांक **18–05–2025** को समय 19.40 बजे स्थान ग्राम बनाहिल, थाना–बिलाईगढ, जिला सारंगढ–बिलाईगढ (छ.ग.) को एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब को बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से विक्रय करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखे पाये जाने के कारण धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है ।

02. प्रकरण में कोई भी उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 18–05–2025 को मुखबीर सूचना के आधार पर गवाह चन्द्रभुषण साहू

एवं रुपेश साहू को तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 179 बी.एन.एस.एस. का नोटिस तामिल कर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया । हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ मौके पर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी ने अपना नाम शिवकुमार साहू पिता कोंदाराम साहू, उम्र–45 वर्ष, निवासी–बनाहिल, थाना–बिलाईगढ, जिला सारंगढ–बिलाईगढ(छ.ग.) का रहने वाला बताया । जिसके पास से एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब मिला, जिसने धारा 91 द.प्र.सं. के नोटिस के जवाब में कोई वैध कागजात नहीं होना लिखित में दिया, अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त **03 बल्क लीटर** हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं **15.480 लीटर** देशी प्लेन शराब गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, के तहत आरोप पत्र तैयार कर अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर अभियुक्त ने जुर्म करना अस्वीकार कर विचारण की मांग किया ।

05. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में **साक्षी चन्द्रभुषण साहू (अ.सा.–01), साक्षी रुपेश साहू (अ.सा.–02), साक्षी पुजा साहू हल्का पटवारी (अ.सा.–03), साक्षी मुलाहिजाकर्ता विपीन पाठक (अ.सा.–04), साक्षी विवेचक किशोर कुमार खटकर (अ.सा.–05)** का कथन कराया है । अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस **प्र.पी.–01**, मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र.पी.–02**, तलाशी पंचनामा **प्र.पी.–03**, स्टाफ की तलाशी पंचनामा **प्र.पी.–04**, बरामदगी पंचनामा **प्र.पी.–05**, शराब पहचान पंचनामा **प्र.पी.–06**, तलाशी जप्ती पंचनामा **प्र.पी.–07**, मादक द्रव्य सीलबंद पंचनामा **प्र.पी.–08,** सम्पति जप्ती पत्रक **प्र.पी.–09**, गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी.–10,** घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–11,** पटवारी नजरी नक्शा **प्र.पी.–14,** शराब मुलाहिजा प्रतिवेदन **प्र.पी.–15,** धारा 94 बी.एन.एस.एस. की नोटिस **प्र.पी.–16,** गिरफ्तारी की सुचना **प्र.पी.–17,** पहचान पंचनामा

प्र.पी.–18, धारा 47(1) बी.एन.एस.एस. की सूचना **प्र.पी.–19,** देहाती नालसी **प्र.पी.–20,** प्रथम सूचना रिर्पोट **प्र.पी.–21,** शराब मुलाहिजा हेतु प्रतिवेदन **प्र.पी.–22** तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं ।

06. अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर, उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए, बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया जाना व्यक्त किया ।

07. **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न हैं:–**

क्या अभियुक्त **शिवकुमार साहू** ने दिनांक 18–05–2025 को समय 19.40 बजे स्थान ग्राम बनाहिल, थाना–बिलाईगढ, जिला सारंगढ–बिलाईगढ (छ.ग.) एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब को अपने आधिपत्य में रखा पाया गया ?

–:अवधारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष:–

---

08. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अभियोजन के उपर है । अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होगा । अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परीक्षित कराये गए अन्वेषण अधिकारी **प्रधान आरक्षक किशोर कुमार खटकर (अ.सा.–05)** ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि दिनांक 08.05.2025 को हमराह स्टाफ के साथ पर रवाना हुए थे कि मुखबीर से सूचना मिली की शिवकुमार साहू नाम का एक व्यक्ति ग्राम बनाहिल नवा तालाब के पास चखना दुकान के पास मे भारी मात्रा मे हाथभट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री करनें हेतु रखा है, की सूचना प्राप्त होने पर गवाह चन्द्रभुषण साहू एवं रुपेश साहू को मुखबीर सूचना के संबंध में अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र.पी.–02** तैयार किया गया । दोनों गवाहों को धारा 179 बी.एन.एस.एस. का नोटिस **प्र.पी.–01** सहयोग करने हेतु दिया ।

09. इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मौके पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया, जहाँ शिवकुमार साहू जो हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब एवं देशी प्लेन शराब को रखा पाया गय़ा । उससे पुछताछ करने पर अपना नाम शिवकुमार साहू पिता कोंदाराम साहू, उम्र–45 वर्ष, साकिन–बनाहिल, थाना–बिलाईगढ, जिला–सारंगढ–बिलाईगढ छ.ग. का निवासी होना बताया । जिसे अपने पुलिस वाहन की तलासी दिया, स्टाफ की तलाशी पंचनामा **प्र.पी.–04** है । तलाशी पंचनामा **प्र.पी.–03** तैयार किया गया ।

10. इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि जिसके उपरांत अभियुक्त के कब्जे से एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब बरामद किया, बरामदगी पंचनामा **प्र.पी.–05** तैयार किया ।

11. इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उक्त सामग्री रखने तथा बिक्री के संबंध में आरोपी को धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटिस **प्र.पी.–16** दिया । नोटिस के जवाब में आरोपी द्वारा वैध रूप से शराब रखने के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट होना पाये जानें पर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब को जप्त कर जप्ती पत्रक **प्र.पी.–09** के अनुसार जप्त किया । शराब पहचान पंचनामा **प्र.पी.–06** तैयार किया गया ।

12. इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि घटना के संबंध में गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–11** तैयार किया, जो लाल स्याही **ए** से अंकित है । गवाहों के समक्ष जप्ती पंचनामा **प्र.पी.–07** तैयार किया । गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये । जिसके पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु धारा 47(1)

बी.एन.एस.एस. की सूचना **प्र.पी.–19** दिया । अभियुक्त का पहचान पंचनामा **प्र.पी.–18** तैयार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी.–10** के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

13. मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में देहाती नालसी 0/25 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम **प्र.पी.–20** दर्ज किया । जिसके पश्चात थाना वापस जाकर साक्षी के द्वारा थाना बिलाईगढ़ में अपराध क्रमांक 139/2025 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम **प्र.पी.–21** दर्ज किया । प्रकरण में जप्तशुदा शराब का परीक्षण कराये जाने हेतु प्रतिवेदन **प्र.पी.–22** तैयार कर आबकारी उपनिरीक्षक आबकारी कार्यालय वृत्त–बिलाईगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ को जप्तशुदा शराब प्रतिवेदन के साथ परीक्षण हेतु प्रेषित किया । परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में संलग्न किया गया । संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

14. **आबकारी उपनिरीक्षक विपिन कुमार पाठक (अ.सा.–04)** ने मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन **प्र.पी.–15** को प्रमाणित करते हुये बताया है

कि दिनांक 19–05–2025 को पुलिस थाना बिलाईगढ के आरक्षक द्वारा अपराध क्रमाँक 139/2025 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जप्त सामग्री 1–180 एम एल वाली देशी प्लेन का लेबल लगा हुआ चार नग कांच की शीशी मे भरा तरल द्रव एवं 2–1 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाटल में भरा 01 लीटर तरल द्रव सीलबंद परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था, जांच में उक्त द्रव्य क्रमांक 01 को **देशी प्लेन शराब** एवं द्रव क्रमांक 02 को **हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब** होना पाया गया।

15. प्रकरण के अन्य साक्षी **पटवारी पुजा साहू (अ.सा.–03)** ने अपने न्यायालयीन कथन मे पटवारी नक्शा **प्र.पी.–13** को प्रमाणित किया है । उक्त पटवारी नजरी नक्शा मे घटना स्थल जो ग्राम पचरी से बनाहिल मार्ग मे है ।

16. प्रकरण में अन्य स्वतंत्र **साक्षी चन्द्रभुषण साहू (अ.सा.–01) एवं साक्षी रुपेश साहू (अ.सा.–02)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया है । घटना दिनांक को वे अपने खेत जा रहे थे तभी थाना बिलाईगढ पुलिस ने उनसे कुछ

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे । साक्षीगण ने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया । अभियोजन के द्वारा साक्षीगण से प्रश्न किए जाने पर साक्षी ने आरोपी से शराब जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है ।

17. प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि दोनो ही स्वतंत्र **साक्षीगण चन्द्रभुषण साहू (अ.सा.–01)** एवं **रुपेश साहू (अ.सा.–02)** के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त के कब्जे एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब को जप्त किए जाने की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है, जिससे जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है ।

18. वर्तमान प्रकरण में विवेचना अधिकारी **प्रधान आरक्षक किशोर कुमार खटकर (अ.सा.–05)** ने दिनांक 18–05–2025 को अभियुक्त के कब्जे से एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर

क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त होना बताया है । स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी के घटना स्थल पर उपस्थित होने का सर्वोत्तम दस्तावेज रोजनामचा सान्हा हो सकता है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा संलग्न तो किया गया है किन्तु उसे मूल मिलान कर प्रमाणित नही किया गया है जिससे घटना दिनांक को घटना स्थल पर विवेचना अधिकारी की उपस्थिति संदेहास्पद होती है।

19. साथ ही यह उल्लेखनीय है कि उक्त जप्तशुदा द्रव्य अभियुक्त के कब्जे से घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–11** के अनुसार घटनास्थल ग्राम बनाहिल, अभियुक्त के चखना दुकान, थाना–बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) से जप्त किया जाना दर्शित है किन्तु उक्त स्थान के स्वामित्व के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । घटनास्थल के नजरी नक्शा से यह भी स्पष्ट है कि घटनास्थल ग्राम बनाहिल, अभियुक्त के

चखना दुकान, थाना–बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) से लगे हुए अन्य कई मकान स्थित है।

20. विवेचना अधिकारी प्रधान आरक्षक किशोर कुमार खटकर **(अ.सा.–05)** द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि चखना सेंटर अभियुक्त शिवकुमार का है, इस संबंध मे स्वामित्व संबंधी दस्तावेज इस प्रकरण मे संलग्न नही है । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में जप्तमाल रजिस्टर की सत्यापित प्रति संलग्न है किन्तु उसे मूल से मिलान कर प्रमाणित नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि उक्त स्थान पर अभियुक्त के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं थी अर्थात अभियुक्त का एकल आधिपत्य रहा हो ।

21. हस्तगत प्रकरण में **प्रधान आरक्षक किशोर कुमार खटकर (अ.सा.–05)** द्वारा जिस वाहन का उपयोग किया गया था, उसका तलाशी पंचनामा तैयार नही किया गया है । उल्लेखनीय है कि विवेचना अधिकारी **प्रधान आरक्षक किशोर कुमार खटकर (अ.सा.–05)** द्वारा इस प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, प्रथम सूचनाकर्ता एवं प्रथम सूचना लेखक के रूप में संपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

22. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर के न्यायदृष्टांत **Kundal Ram V. State of C.G., 2011 SCC Online Chh 500** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने से उसके द्वारा की गयी विवेचना की कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार की विवेचना से संदेह उत्पन्न होता है। वर्तमान प्रकरण में भी अन्वेषण अधिकारी **प्रधान आरक्षक किशोर कुमार खटकर (अ.सा.–05)** के द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जब एक ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जाये और ऐसी कार्यवाही अधूरी व संदिग्ध हो तब उनकी एकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी नही ठहराया जा सकता ।

23. मूल रोजनामचा सान्हा घटना दिनांक का प्रमाणित नहीं है । मालखाने के संपत्ति निकासी के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख मे उपलब्ध नही है । मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन की सत्यता भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है । जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षीयो के साक्ष्य से समर्थित नही है, साथ ही किसी भी साक्षी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त अवैध रुप से शराब

विक्रय करने हेतु अपने आधिपत्य में रखा पाया गया, जिससे अभियोजन का यह संपूर्ण प्रकरण संदेह की परिधि में होना पाया जाता है ।

24. तदानुसार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त **शिवकुमार साहू** ने दिनांक 18–05–2025 को समय 19.40 बजे स्थान ग्राम बनाहिल, अभियुक्त के चखना दुकान, थाना–बिलाईगढ, जिला सारंगढ–बिलाईगढ (छ.ग.) को उपरोक्त जप्तसुदा शराब को बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से विक्रय करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखा पाया गया ।

25. अस्तु **अभियुक्त शिवकुमार साहू** को धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

26. अभियुक्त **शिवकुमार साहू** द्वारा धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक विस्तृत रहेगा ।

27. अभियुक्त **शिवकुमार साहू** के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि **01 माह 02 दिवस** है। इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के

प्रावधान के तहत् पृथक से तालिका निर्मित की गई है जो कि निर्णय का भाग मानी जावेगी।

28. प्रकरण में उपरोक्त जप्तशुदा सम्पत्ति शराब एक पीला रंग के प्लास्टिक बाल्टी मे 20 लीटर क्षमता वाले के अंदर एक बडी प्लास्टिक झिल्ली मे रखी 20 नग पाउच प्रत्येक मे 150–150 एम एल भरा कुल 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं एक हल्का बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखी 86 पांव देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180–180 एम एल भरा 15.480 लीटर देशी प्लेन शराब को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

29. अभियोजन को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे ।

30. प्रकरण समाप्त । प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.12.17 19:02:29 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ. ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित कर घोषित किया गया ।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.12.17 19:02:33 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ. ग.)

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	**शिवकुमार साहू**
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	18–05–2025
न्यायालय में पेश करने की तिथि	19–05–2025
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	01 दिवस
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	19–05–2025
जमानत पर रिहा करने की तिथि	20–06–2025
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	01 माह 01 दिवस
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना है। (अ) + (ब)	
01 माह 02 दिवस	

PRERANA VERMA

Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.12.17 19:02:38 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ (छ. ग.)